आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
11/12/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 07/11** **उषा कुंवर बनाम बिहार सरकार (अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा) एवं अन्य** **आदेश** संदर्भित अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 195 दिनांक 13.1.11 के विरूद्ध दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गयी। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 8.12.10 को अनुमंडल स्तरीय गठित जॉच दल (प्रखंड विकास पदाधिकारी, मढ़ौरा एवं अंचलाधिकारी, मढ़ौरा) के उषा कुंवर, जविप्रवि, अनुज्ञप्ति सं0 86/07, ग्राम–कर्णकुदरिया, पंचायत–कर्णकुदरिया, थाना+प्रखंड–मशरक की दूकान की जॉच की गयी। जॉच के क्रम में पायी गयी अनियमितता इस प्रकार है: 1. निरीक्षण के समय वितरण अवधि में दूकान बंद पायी गयी एवं विक्रेता दूकान अनुपस्थित थे। 2. दूकान से संबंधित सूचनापट्ट एवं मूल्य तालिका प्रदर्शन पट्ट पर समुचित रूप से संधारित नहीं था। 3. विक्रेता की अनुपस्थिति के कारण स्टॉक पंजी/वितरण पंजी इत्यादि की जॉच नहीं की जा सकी तथा मॉगने पर भी विक्रेता के घर के अन्य सदस्यों के द्वारा उपरोक्त	

कागजात जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

4. विकेता के घर के अन्य सदस्यों के द्वारा भंडार का निरीक्षण हेतु भंडार खोलकर नहीं दिखाया गया, इससे प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि विकेता के द्वारा सरकार के द्वारा अनुदानित सामग्री का उपभोक्ताओं के बीच वितरण न कराकर उसकी कालाबाजारी कर दी जाती है।

उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के ज्ञापांक 3445 दिनांक 8.12.10 के द्वारा विकेता से स्पष्टीकरण पूछा गया। विकेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, लेकिन विकेता के द्वारा प्रस्तुत जवाब को असंतोषजनक पाते हुए अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उसे अस्वीकृत कर दिया गया तथा उनकी अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया।

अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि जॉच की तिथि को डॉ0 से दिखाने हेतु विकेता गोपालगंज गई थी। उनके विरूद्व अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने स्पष्टीकरण में या आदेश में किसी प्रकार का कोई स्पष्ट आरोप नहीं लगाया गया है। जो भी आरोप लगाया गया है, वे सभी गलत सिद्व हुए हैं। अनुज्ञापन पदाधिकारी के आदेश में कैशमेमो नहीं देने तथा वितरण पंजी में बी.पी.एल. सं0 की प्रविष्ट नहीं किए जाने के संबंध में शिकायत दर्ज है। ये सभी आरोप परिकलपनाओं पर आधारित है। आरोप लगाने वाले किसी भी व्यक्ति के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। उनके द्वारा विगत 20 वर्षो से दूकान का संचालन किया जा रहा है। कभी भी किसी प्रकार की कोई शिकायत का अवसर आज तक नहीं आया है। परिवार के सदस्यों को कागजात के संबंध में जानकारी नहीं रहने की वजह से उनके द्वारा कागजात नहीं दिखाया गया। विकेता के द्वारा सरकार से अनुदानित दर पर प्राप्त सामग्रियों का वितरण उपभोक्ताओं के बीच निर्धारित दर पर

निर्धारित मात्रा में नियमित रूप से किया जाता है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने आदेश में अंकित किया गया है कि विकेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों में अंकित कतिपय अनियमितताओं के संबंध में विकेता के विरूद्व कार्रवाई की गयी है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यदि विकेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों/पंजी में किसी प्रकार की कोई अनियमितता पायी गयी थी, तो उनसे पूरक कारणपृच्छा की जाती, लेकिन ऐसा नहीं करके विकेता के विरूद्व उन विन्दुओं को आधार बनाकर उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया है, जिसका उल्लेख कारणपृच्छा में किया ही नहीं गया था और इस तरह विकेता को उन बिन्दुओं पर अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्व हैं। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा विकेता की रद्द अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया गया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विकेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुनने तथा अभिलेख के परिसीलन से पाया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के द्वारा Speaking order पारित नहीं किया गया है। विकेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों में अंकित कतिपय अनियमितताओं के संबंध में विकेता के विरूद्व कार्रवाई की गयी है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यदि विकेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों/पंजी में किसी प्रकार की कोई अनियमितता पायी गयी थी, तो उनसे पूरक कारणपृच्छा की जाती, लेकिन ऐसा नहीं करके विकेता के विरूद्व उन बिन्दुओं को आधार बनाकर उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया है, जिसका उल्लेख कारणपृच्छा में किया ही नहीं गया था और इस तरह विकेता को उन बिन्दुओं पर अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्व है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने कारणपृच्छा में या अपने आदेश में

	अपीलार्थी के विरूद्व लगाए गए आरोप में किसी उपभोक्ता के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे लगाए जाने वाले आरोप स्पष्ट प्रतीत नहीं होते हैं। ऐसे में इस मामले को पुनः जॉचोपरान्त वाद की सुनवाई कर मुखर आदेश पारित करने हेतु रिमांड किया जाता है। वाद निष्पादित। लेखापित एवं संशोधित जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा	

ज्ञापांक 1053 दिनांक 15/12/14

प्रतिलिपिः—अनुमंडल पदाधिकारी,मढौरा को निम्न न्यायालय का अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0,सारण,छपरा को इस जिले के वेबसाइट पर उक्त आदेश को निर्देशानुसार अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा,सारण,छपरा।
15/12/14